

Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID

201801021010593R

Receipt Date

04-SEP-2018 12:23

S R Location

JAIPUR-VII

Receipt No

RJ1204231809450

Name Of Seller

HEMANT KUMAR SHARMA ADV

Name Of Buyer

ANUKAMPA AAWAS VIKAS LLP

Type of Document


Search

ACC Reference

SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/CHITRAKOOT

THAN/CHITRAKOOT
Stock Holding Corporation of India Limited

	Stock Holding Corpora	tion of there table to	
Paid Fees			Amount (Rs.)
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	₹ 0
Registration Fees	₹ 0	CSI	
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 650
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹0
Other Charges	₹ 0		₹10
Total Amount	₹ 650	Service Charges	
Grand Total (Runges Six Hundred Sixty Only)	₹ 660		



Statutory Alert: The authenticity of this receipt should be verified at www.shcllestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

For Anukampa Avas VIRab

Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur



(M) 9413332288 GARGI'S LAW CHAMBER A-36, Pratap Stadium, Chitrakoot Scheme, Jaipur email:law.gargi01@gmail.com

Ref.....

Date 04 09 2018


NON-ENCUMBRANCE CERTIFICATE/SEARCH REPORT

Area 7000 square meters of commercial and residential (Mix Use) Land of old Paltry Farm at Sodala on Ajmer Road, Jaipur presently owned by M/s. Anukampa Aawas Vikas LLP registered through its authorized partner Shri Gopal Prasad Gupta son of Shri Hariprasad Gupta, C/o Office No. 301, Anukampa Mension, Phase I, M.I. road, Jaipur, Rajasthan.

I, Hemant Kumar Sharma, Advocate have caused necessary searches in the office of Sub-Registrar, Stamp and Registration Department, Jaipur for the immediate last period of 2006 to 2018 and have inspected all relevant records and all other documents in respect of the aforesaid property, my search report as follows.

Whereas M/s. Anukampa Aawas Vikas Pvt. Ltd. registered through its authorized director Shri Gopal Prasad Gupta son of Shri Hariprasad Gupta, C/o Office No. 301, Anukampa Mension, Phase I, M.I. road, Jaipur, Rajasthan has purchased the said plot being highest bidder in an auction organized by Jaipur Development Authority, Jaipur. After that, JDA issued a letter of confirmation of auction and demand letter in favour of the bidder. Thereafter, M/s. Anukampa Aawas Vikas Pvt. Ltd. registered through its authorized director deposited entire consideration amount. two years lease money and other miscellaneous charges in favour of Jaipur Development Authority, Jaipur. After that JDA handed over the possession of said Plot to M/s. Anukampa Aawas Vikas Pvt. Ltd. through a possession letter No. 1688 dated Anukampa Aawas Vikas Pvt. Ltd. through a possession letter No. 1688 dated 10/10/2005. After that JDA executed a Perpetual Lease Deed No. D-2477 dated 17.10.2005 of the said Plot measuring 7000 square meters of commercial and residential (Mix Use) Land of old Paltry Farm at Sodala on

For Anukampa Avas Vikas LLP
Partner/Authorized Signatory



Ajmer Road, Jaipur, said deed is registered in the office of Sub-Registrar, Jaipur-IV, Jaipur on 18.10.2005 as Book No. 1, Volume No. 56 at Page No. 129, Serial No. 2005004557 and the copy of deed filed in Additional Book No. 1, Volume No. 223 in Pages 329 to 348.

Whereas M/s. Anukampa Aawas Vikas Pvt. Ltd. registered through its authorized director dissolved his company in his new firm named M/s. Anukampa Aawas Vikas LLP registered through its authorized partner Shri Gopal Prasad Gupta son of Shri Hariprasad Gupta, C/o Office No. 301, Anukampa Mension, Phase I, M.I. road, Jaipur, Rajasthan and new firm is duly registered before concern authority of registration and by the virtue of dissolution of said firm, the property in question dissolved in the ownership of M/s. Anukampa Aawas Vikas LLP.

Hence, the present owner M/s. Anukampa Aawas Vikas LLP become the absolute owner and title holder of said Plot measuring 7000 square meters of commercial and residential (Mix Use) Land of old Paltry Farm at Sodala on Aimer Road, Jaipur.

I, hereby certify that the said Plot measuring 7000 square meters of commercial and residential (Mix Use) Land of old Paltry Farm at Sodala on Ajmer Road, Jaipur is free from all sorts of encumbrances, charges liabilities, liens and attachment of any kind of the charges and the title of the said property is absolutely clear, free and marketable. I hereby certify that Urban Land Ceiling Act and Tenancy Law Act etc. do not affect the said property. It is also hereby certified that the above-mentioned plot is not hit by any restriction of Urban Land (Ceilings Regulations) Act. 1976 and it is fit for equitable mortgage.

The fee receipt no. RJ1204231809450 & SRO Unique ID 201801021010593R dated 04.09.2018 for the relevant search is enclosed herewith.

For Anukampa Avas Villas Liberta Partner/Authorized Signatory

(Hemant Kumar Sharma)
HEMANT KUMAR SHARMA

शहरी जमाबन्दी के आधार पर व्यवसाय एवं आवासीय के अभिप्रायों

लीजडीड

विक्रय पत्र संख्यार

12019

B

1

.केवे दिन यह इक्सरनामा जो उन्देख (200 र् प्रवस्थक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अहैल भी सम्मिलत होंगें) के बीच लिखा गया है।

यह बात का साक्षी है कि रूपये 91,77000/- अंके रूपये इसरानव कारिक स्वार मात्र की रकम के नजराने जो लीजधारक के द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेगें के एवज् में जयपुर विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम प्लॉट (जिसे इसके बाद उक्त जमीन कहकर सन्योधित किया गया) प्रदान और लीज करते हैं जो योजना जिन्म रहा रिथत है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अर्न्तगत लिखे गये परिशिष्ट स्थित ह आर जा अपना सामाआ आर बात्रफल क साथ इसक असाना लिख नव परिशेष्ट न अधिक पूर्णकर्षण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग से विश्वलाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमान य इस्ताक अपवादों संरक्षणों प्रतिबन्धों बन्धनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपाणा एपनांग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात : --

 लीजधारक जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे सीजधारक जयपुर विकास भाधिकरण के कार्यालय में आग्रेस के प्रथम दिन जवत प्राधिकरण समय-समय पर इस हेतु नियम कर दे प्रत्येक वर्ष अप्रेस के प्रथम दिन जवत जमीन के सम्बन्ध शहरी जमावन्दी के तौर पर ऋष्ये कार्या के किए स्वासनिक के प्रथम किए स्वासनिक के प्रथम किए स्वासनिक के सम्बन्ध के स्वासनिक के स्वसनिक के स्वासनिक के स्वासनिक

समय कोई बढ़ती हो तो वह उस शहरी जमाबन्दी की रकम से जो उसे तुरन्त पूर्व अवधि में काविल अदा थी, जिसके सम्बन्ध में ऐसी दोहराने की कार्यवाही की गई है। 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, नियनान्तर्गत यदि भूमि का हस्तान्तरण, गिपट आदि किसी भांति से होने पर शहरी जमाबन्दी की राशि ऐसे प्रत्येक संशोधन या हस्तान्तरण के साथ 25 प्रतिशत वढ़ जायेगी।

3. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर प्राधिकरण ऐसी रकम या अंश को उसक तरीके से जो उस समय मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड ९९ वर्ष लीज अवधि पर आंवटित किया गया है।

जनत जमीन का उपयोग केवल व्यवसासय एवं आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावेगा एवं ्रानाजाल से फपर की मिजिलों को आवासीय उपयोग में भी लिया जा सकता है। (यह किया कार्या कार्या) परन्तु कार्या विकास किया कार्या कार्य कार्या कार्य उस पर केवल व्यवसाय एवं आयासीय उपयोग हेतु निर्माण किया जावेगा। भवन का डिजाईन/एलीवेशन तथा आर्कीटेक्टचर कन्ट्रोलशीट के प्रावधानों के अनुरूप रखते हुये

अनियम अगर्ध हो एक्टा होरा स्वाकृत-मानाधत्र क अनुसार और भवन निर्माण अनियम अगर्ध हो एक्टा पालना करते हुये इस लीजडीड की तारीख से दो वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अविधे तो एतदर्थ प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई जावे, के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण कर लेगा। भूखण्ड व भवन निर्माण हेतु ऋण लेने के उद्देश्य से उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण या राजस्थान वित्त निगम या राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिर्जय बैंक से स्वीकृत वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखा जा सकेगा।

विकास प्राचित्रहता BUILDIA अध्युर चाराष्ट्र प

- जिवित्रा भूमि पर कालमूस की फुटिंग अधिकतम 45 सेन्टीमीटर अनुङ्गेय होगी परनतु कालम पूर्णता की खयं की भूमि पर निर्मित किये जायेगें।
- 8 ्रवेसमेन्ट स्टोर्स की एप्रोच भवन के अन्दर से ही अनुज्ञेय होगी।
- ुं मुटीप्लेक्स के भूखण्डों में आवासीय उपयोग, अनुहोय नहीं होगा तथा पार्किंग गवन के अन्तर ही प्रावधानित करनी होगी और पार्किंग व अन्य परा मीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुरूप होगें
- 10. प्रार्थी द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन विनियम 1989 नियम बद्धता नियम के अनुसार शास्ती वसूली जावेगी।
- 11. द्रांसाकार्मर सेन्द्रल स्मार्डन के देय पार्किंग की तरह लोडे के एंगल पर ऊंचा करके लगाया जा सकता है, साथ ही बोरिंग पार्किंग क्षेत्र की तरफ फुटपाथ में दी जावेगी। फायर एन्डेन्ट की स्थिति निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा ले–आउट में दर्शायी जावेगी।
- 12 द्वितीय मंजिल पर छज्जा 0.60 नीटर का दिया जा सकता है, जिससे बारिश के समय यचाव हो सके।
- 13. सर्विस फ्लोर : भवन विनिमय 2000 के प्रावधानों के अनुरूप सर्विस फलोर केवल फ्लेटस हेतु दिया जा सकता है।
- 14. भू-मंजिल से उपर अवासीय उपयोग की अनुमति देने के फलस्वरूप बेसमेन्ट के पार्किंग दी जा सकती है तथा बैसमेन्ट में जाने के लिये रेम्प योजना में उल्लेखित पार्किंग क्षेत्र की तरफ से निर्धारित स्थान से ही दिया जाना उचित होगा तथा यह रेम्प ब्लॉक की सीमा तक प्राउण्ड लेवल या फुटपाथ लेवल रखते हुये तथा स्लोप भवन की सीमा के अन्दर ही देय होगा। इसके लिये आवश्यक प्रलोर कटिंग इत्यादि भवन के ब्लॉक में से ही की जाये।
- 15. बेसमेन्ट में वर्तमान में स्टीहें उपयोग हेतू स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं। बेसमेन्ट का उपयोग केवल सर्विस उपयोग, पार्किंग एवं स्टीर उपयोग हेतु ही आरक्षित रखः जाये। व्यवसायिक उपयोग अनुझेय होगा।
- 16 खरीवदार उसत इमारत को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे या नक्शे के अनुसार और इमारत बनवाने के ऐसे नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए निर्माण कार्य इस तहरीर दस्तावेजात की तारीख से दो वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो एतदर्थ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बढ़ा दी जावे, पूरा कर लेगा जो उक्त समय क्षेत्र या स्थल पर जिसमें या जहां उक्त जमीन स्थित लागू हाते हो।
- 17. लीजधारक उवत जमीन या उस पर बनवायी गयी इमारत या इमारती या उन दोनों के किसी भाग के किसी ऐसे आशय के लिये पिछले पद में निर्देशित आशय के असपत है, बिना प्राधिकरण की लिखित स्वीकृति के न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।
- लीजधारक को उपयोग सम्पति को निम्न शर्तों के अधीन हस्तान्तरण करने तथा बन्धक व एहन करने का अधिकार होगा।
- (६) स्रवि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तों के विपरीत भूखण्ड का उपयोग हस्तान्तरण (किसी भी भाति) किया गया तो भूखण्ड प्राधिकरण में स्वतः ही निहित हो जायेगा और उसके प्रति किसी प्रकार का मुआवजा पाने का आवंटी को कोई अधिकार नहीं होगा, इसके साथ ते आवंटी भविष्य में भी भूखण्ड पाने का अधिकारी नहीं होगा।
- क्लीजंधारक सक्षम अधिकारी को सीधे वे तमाम विशेष और स्थानीय कर मय ब्याज और लागत अदा करेगा जो उक्त जनीन या उसके किसी भाग के संबंध में या उस पर बनाई गई किसी इंगारत या इमारतों, बाह्य ग्रहों या बाड़ीयों अन्य तामीर के सम्बन्ध में या उस स्याम आमत किये या लगाये गये हों और काबिल अदा हो।

सथम आमद किये या लगाये गये हों और काबिल अदा हो।

श्रिक नजराना अथवा शहरी जमाबन्दी नियम तिथि तक जमा न की गई तो बकाया रकम पर नियमानुसार समय—समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ब्याज व शास्त्रि देय होगी।

काल प्राक्तिक

Partner Ruthorized Signatory
नोट प्रस प्लॉट की शहरी जमाबन्दी 296 को \$79,909/ रूपये होती है।
अत् एवं स्टॉम्प नं 2965/ सं 19 बहेसियत वैचान
इसके साथ लगाये जाते हैं।

5.4.

25001 | 5000 | 100 | 50 | 100 | 50 |
14 | 34120 | 5187 | 5

ğ

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~
	कस्ये कर्तुनांन जयपुर पूर्व	श्चिम प्लॉट की सं	ख्या यदि कोई हो उपना उत्राध	वार्ग, सहीत
	भिक्ता जिल्ला निर्मा जनग	- 618101	4 5 7 9 7 7 9 7 9 7 9 7 9 7 7 7 7	21777
	7000:00 सित्रफल वर्गम्ब्य-/मीटर	मानचित्र संलग्न है।	व्यवण की माय खेला सहिर	- 30 C102
	इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन	में इसके साथ प्रत्येक व	शा् में निर्देशित स्थानों और	
	इसके साम के रूप में इसके फरीकेन तारीखें पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दि	社會1000000019	11 68	
	3.7	11/38	36/11	
		Per Charles Par		
	राजस्थान सरकार की ओर से	15/ 2007	7 (重)	
		ly of the same	10	
	आज सन् २००५ अविद्व के	·	159	
	ST TAZAGIT TOT, BIKO LOCA	० उपाय के प्रायट ज	A A	
	जयपुर विकास प्राधिकरण ने निम्न	की उपस्थिति में ए	त्युंषुरे में हस्ताक्षर किये।	
	3	A TRAIR M		
		उप1	1761 (M 5-L	
9		449	ानकीस प्राधिकरण	
	साक्षी		ज्यपद्भ ।	
	1 नाम भेजवान स्पद्यप रोगू	****	(Dw) 12	
	पुत्र की अगिष्टा गारापण थे)'	साक्षा	
	व्यवसाय 🖢 छन्			
	निवास स्थान ५५५१ -			
V	निवासं स्थान/	****		
	A 3	7/2	2/12)	
	2 नाम की समिवता किया	9	777	
	पत्र न्द्री- वी व उसर मीठा।	1	साक्षी	
	व्यवसाय प्राप्त छथाः			
		For Anuka	maps Aver Vikas Pvt. Ltd.	
and the second	' निवास स्थान ५५५		2/2/2	
			Director	
Trul skom -	आज सन् २००५ के न्यून्ति		1	
	वे हिन को निम्नलिखित उपस्थिति से उ	ावत _	√ लीजधारक	
	भी में अउसमा कानात विश	(79) M		
	ार्षपे भिग्रह गोपाल तमत्	301		
	लोजधारक द्वारा कार्यालय, जयपुर विका	स प्राधिकरण		
	में हस्ताक्षर किये।			
	THE GOPALSHA	62 M A	1	
	साक्षी		(5m	0
4 6 6 6 5 5	1 FIFE CONTE)
	Jashry HoriPsi	ashed 8m	साक्षी	
	व्यवसाय (3)	2		
	. /	an furi		
1	निवास स्थान \ ८ । ४९५० । ००	and the rest	aila.	
1-	Malvina	Magazo.	1 C	
1 -//_	52 Malvina	PTA Toon.	(all thos	
1	1 . 001 1/0 00 01	-17 Th	साक्षी	
01/25	VIII- 3- 11 Property - 1-1-1	A STATE OF THE STA		
wampa A	DEPENDENT SUNTED STATES OF STATES STA			
Anuka	A TO VIDY	UT NAGAR		S. Walter
40,	horized	AZPUR		
partner Au				
Louis .				

SITE PLAN OF PLOT NO LAND OF OLD
POLTRY FORM AT SODALA, ASTREA, KOND
YATTOO 7000:00 Sa.M. PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER RI SCALE -1 in =50 ft. SETBREICS AS PER BYELDWA OTHER'S LAND ARBA = 7000 00 Sam. CAJMER ROAD). जण्डाम् जन्म प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR For Anukampa Avas Vikas LLP Partner/Authorized Signatory

